

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई में टिप्पणी तारीख के साथ
27/1/2013	<p style="text-align: center;"> सारण समाहरणालय, छपरा। न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा। जिला विधि प्रशाखा आपूर्ति अपील सं० 106/2012 शिव कुमार प्रसाद बनाम राज्य एवं अन्य आदेश </p> <p>यह अपील आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी, मधौरा के आदेश ज्ञापांक 2446 दिनांक 9/8/2012 को चुनौती देने के लिए दायर किया गया है।</p> <p>दिनांक 10/1/2012 को एक जिला स्तरीय जाँच क्लब द्वारा अपीलकर्ता के जन वितरण प्रणाली प्रतिष्ठान की जाँच की गयी थी और जाँच प्रतिवेदन के आलोक में कतिपय अनियमितताओं के विरुद्ध अपीलकर्ता को कारणपृच्छा की गयी और प्रश्नगत आदेश पारित किया गया।</p> <p>अपना पक्ष रखते हुए अपीलकर्ता ने कहा कि उन्होंने अपने विरुद्ध लगाए गए सभी छः आरोपों का साक्ष्यों के साथ प्रतिकार दिया। उनके विरुद्ध पहला आरोप यह था कि उन्होंने लाभुकों की सूची प्रदर्शित नहीं की है। इसके बारे में उन्होंने कहा कि लाभुकों की सूची अनुमंडल कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी थी, जो नहीं करायी गयी थी और इसलिए इस आदेश का पालन नहीं किया गया। उनके विरुद्ध दूसरा आरोप यह था कि उन्होंने संयुक्त नमूना प्रदर्शित नहीं किया था। अपीलकर्ता ने स्पष्ट किया कि उनका भंडार शून्य था और इसलिए किसी प्रकार का नमूना प्रदर्शित करने का प्रश्न ही नहीं था। अपीलकर्ता ने यह भी दलील दी कि उनके विरुद्ध तीसरा आरोप यह है कि उन्होंने पंजियाँ अनुमंडल कार्यालय में जमा करी थीं। अपीलकर्ता ने इसे तर्कहीन बताते हुए कहा कि अनुमंडल कार्यालय द्वारा माँगे जाने पर पंजियाँ उन्हें उपलब्ध करायी गई थी और यह किसी प्रकार का आरोप नहीं हो सकता है। अपीलकर्ता ने यह भी कहा कि जहाँ तक माप-तौल के उपकरणों के सत्यापन नहीं कराए जाने का आरोप है, उन्होंने दिनांक 13/12/2011 को ही यह सत्यापन करा लिया था और इसका साक्ष्य भी उन्होंने अनुज्ञापन पदाधिकारी कार्यालय को दिया था। कैश मेमो नहीं देने और निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली करने के आरोपों का भी खंडन करते हुए अपीलकर्ता ने कहा कि इससे संबंधित साक्ष्य अनुज्ञापन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित किया था,</p>	

27/1/13

जिसमें न केवल कैश मेमो की कार्यालय प्रति है, बल्कि उन प्रतियों पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर भी हैं। इन कैश मेमो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधिक मूल्य लेने या कैश मेमो नहीं देने के आरोप असत्य है।

प्रतिवादी राज्य का पक्ष रखते हुए विज्ञ विशेष लोक अभियोजक ने स्पष्ट किया कि प्रश्नगत आदेश विधि-सम्मत है और तथ्यों के पूर्ण परीक्षण पर आधारित है।

दोनों पक्षों को जुना और मूल अभिलेख का अवलोकन किया। यह पूर्णतः स्पष्ट है कि अपीलकर्ता द्वारा दिए गए साक्ष्यों के मददेनजर उनके विरुद्ध एक भी आरोप की पुष्टि नहीं होती है। लाभुकों की सूची उपलब्ध कराए बगैर उसके प्रदर्शन की माँग करना, अनुमंडल कार्यालय के पंजी जमा रहने पर उसे आरोप बनाना और माप-तौल सत्यापन से संबंधित अकादमिक साक्ष्य के बावजूद उपकरण को असत्यापित मानना विधि-सम्मत नहीं है। उसी तरह भंडार पंजी शून्य होने के बाद संयुक्त नमूना प्रदर्शित करने का कोई औचित्य नहीं है। कैश मेमो नहीं देने या मूल्य से अधिक वसूली करने के आरोप भी सिद्ध नहीं होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रश्नगत आदेश विधि-सम्मत नहीं है, जिसे निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

लेखापित्र एवं संशोधित
22/1/13
जिला दंडाधिकारी
सारण, छपरा।

22/1/13
जिला दंडाधिकारी,
सारण, छपरा।

आपीक _____ / विधि, दिनांक _____
प्रतिलिपि - अनुमंडल पदाधिकारी, मधौरा को भवदीप
पत्रांक 44/जो० दिनांक 10-01-2013 द्वारा श्री शिव कुमार पुराद
ज० वि० प्र० कि०, फैजाबाद - डूधुआपुरा का मूल अभिलेख प्राप्त को आदेश
की प्रति के साथ मूल अभिलेख संलग्न कर सूचनाएं एवं उक्त आदेश
का अनुपालन हेतु प्रेषित।

अनुमंडलक - मूल अभिलेख
श्री शिव कुमार पुराद

हस्ताक्षर
वरीप असमाहता,
जिला विधिशाखा
सारण, छपरा।

आपीक 953 / विधि, दिनांक 4/2/2013

प्रतिलिपि - एन० आइ० सी० पदाधिकारी, सारण, छपरा
श्री सूचनाएं एवं उक्त आदेश को गिना के केसाइय प्रदर्शित
करने हेतु प्रेषित।

हस्ताक्षर
वरीप असमाहता
जिला विधिशाखा
सारण, छपरा।
04/02/13